संक्षिप्त

बीसीएमओ ने किया औचक निरीक्षण

कोटपूतली। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार को बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर द्वारा आयुष्मान आरोग्य मन्दिर आरोग्य परम धनमं उप स्वास्थ्य केन्द्र कंवरपुरा, गोवर्धनपुरा, कुजोता एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवाना अहीर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र कंवरपुरा बन्द पाया गया और कई स्टॉफ ड्रेस में नहीं मिला। बीसीएमओ ने अनुपस्थित स्टॉफ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये। बीसीएमओ ने आभा आई.डी., ई.के.वाई.सी., साफ-सफाई, ओपीडी, दवा वितरण, वार्ड समेत अनेक व्यवस्थाओं की जांच की। साथ ही सीएचओ, एएनएम एवं आशाओं को नियमित रूप से लक्ष्य आवंटित कर आभा आई.डी. बनाने के निर्देश दिये। प्रत्येक मंगलवार को एनिमिया मुक्त भारत की संकल्प यात्रा को साकार करने हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। शक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत 06 माह से 09 वर्ष तक के बच्चे, 10 वर्ष से 19 वर्ष के व्यस्क, गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं की एनिमिया की जांच कर उपचार किया जाता है एवं उनका निरन्तर फॉलोअप किया जा रहा है।

जिला स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित

कोटपूतली। अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। जिसमें जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल कोटपूतली.बहरोड ने एवं जिला अधिकारी रमेश कुमार दहमीवाल ने जिले में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था मंथन फाउन्डेशन चेरीटेबल ट्रस्ट बहरोड की डॉ सविता गोस्वामी एवं जन जाग्रति संस्थान बहरोड रवि कुमार को तथा रतन लाल मीना दिव्यांगजन को खेल.कूद में, रामनिवास यादव दिव्यांगजन को समाज के सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने एवं सुरेन्द्र कमार जाटव कनिष्ठ सहायक सान्याअवि को दिव्यांगजनों के लिए अच्छा राजकार्य करने के लिए प्रशस्ति.पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी को जलपान व भोजन कराकर सधन्यवाद कार्यक्रम समापन किया गया।

भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन

कोटपूतली। भाजपा कोटपूतली नगर मंडल में बूथ स्तरीय समिति का गठन करने के लिये मंगलवार को कार्यकर्ताओं की बैठक बूथ सं. 85 में विधायक हंसराज पटेल के मुख्य आतिथ्य व संगठन पर्व जिला अधिकारी बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित की गई।नगर मंडल संयोजक अरुण सैनी ने बताया कि बैठक में बूथ सं. 85 पर बूथ अध्यक्ष कुंदन अग्रवाल को मनोनीत करके बूथ समिति का गठन कर अभियान की शुरुआत की गई। नगर के सभी 28 बूथों पर समितियां बनाई जायेगी। इस दौरान भाजपा नेता यादराम जांगल, पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष रघुवीर गोयल, जिला कोषाध्यक्ष शशि मित्तल, पूर्व चौयरमैन महेंद्र सैनी, कपिल शर्मा, उत्तर मंडल अध्यक्ष रमेश रावत, जिला मंत्री पुष्कर शर्मा समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अज्ञात वाहन से एक जने की हुई मौत

निवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर ललवाडी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जने की मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी हरिराम वर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि गांव बौंली सवाई माधोपुर निवासी लक्ष्मण मंगल के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन

- जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का किया आह्वान

कोटपूतली। जिले में आगामी 08 दिसम्बर को उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसको लेकर जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुर्वेद एवं सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप आपसी समन्वय से जिले में स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को शत-प्रतिशत परिणाम दिलवाते हुये सुदृढ़ राजस्थान का निर्माण किया जा सके।

एडीएम ओमप्रकाश सहारण द्वारा बैठक में जिले में आयोजित होने वाले उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में अन्य विभागों द्वारा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये सक्रिय सहयोग देने, विद्युत विभाग को अभियान के अन्तर्गत सतत् विद्युत सप्लाई, शिक्षा विभाग द्वारा बूथ हेतु सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों एवं आईसीडीएस द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा सहयोग करने, टीम द्वारा पोलियों रोधी खुराक पिलाने, समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने, शिक्षा विभाग माध्यमिक व प्रारम्भिक को सभी विद्यालयों में जागरुकता रैली, प्रार्थना सभा में पल्स पोलियों की तारीख व स्थान की जानकारी दी।

सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रीय पल्स पोलियों कार्यक्रम की रुपरेखा की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के लगभग 157000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले में 1463 बूथ, 2926 वेक्सिनेशन टीमें 177 सेक्टर सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है। आरसीएचओ डॉ. अरविन्द अग्रवाल द्वारा पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों की समीक्षा की गई। डीएनओ रविकांत जांगीड़ द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण कर जिले द्वारा तैयार किए गए माइक्रोप्लान एवं इसकी प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक लेते एडीएम।

एडीएम ने किया निरीक्षण

कोटपूतली। जिले में आयोजित हो रही पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र हंस पी.जी. कॉलेज कोटपूतली का एडीएम ओमप्रकाश सहारण द्वारा निरीक्षण किया गया। एडीएम ने 1 से 3 दिसंबर तक विभिन्न पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के निर्देश परीक्षा केंद्र पर प्रभारी को दिये।

घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर आयोजित

पावटा। पंचायत समिति पावटा में मंगलवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देशानुसार घुमन्तु समुदाय (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु) सहायता शिविर का आयोजन पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय की अध्यक्षता मे किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला अधिकारी रमेश दहमीवाल ने बताया कि शिविर में घुमन्तु समुदाय के करीब 164 लोगों को आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिसमें ०7 आवेदन वोटर आईडी, ०6 आवेदन आधार कार्ड, ०8 आवेदन जनआधार कार्ड, 27 आवेदन राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त हुये। घुमन्तु पहचान प्रमाण पत्र के 4० आवेदन, 31 मूल निवास प्रमाण पत्र, ०1 वृद्धा पेंशन योजना, ०1 विधवा पेंशन योजना, ०1 विकलांग पेंशन योजना के आवेदन प्राप्त हुये।

उक्त लबित आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार समय सीमा में निस्तारित कर दिया जावेगा। शिविर में एसडीएम कपिल उपाध्याय, तहसीलदार संजय खेदड, नायब तहसीलदार शिवानी शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गजराज सिंह, छात्रावास अधीक्षक शिव कुमार शर्मा, मोनू शर्मा वरिष्ठ सहायक हरफूल चंद रावत सहित चिकित्सा विभाग की टीम व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

खाद वितरण को लेकर गरीब किसान हो रहे हैं परेशान

देवली। सरकार चाहे लाख जतन कर लेवे मगर गरीब किसानों के हित के लिए बनाई गई योजना का लाभ तब तक गरीब किसान को आसानी से प्राप्त नहीं होगा जब तक भ्रष्ट नीति पर अंकुश लगाने की कवायदे शुरू नहीं की जाएगी। तब तक गरीब किसान सरकार से मिलने वाली मदद और योजनाओं को प्राप्त करने के लिए परेशान ही होते रहेंगे।

ऐसा ही एक मामला मंगलवार को देवली क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय का सामने आया यह गोदाम में खाद के कट्टे तो पड़े हैं लेकिन उन्हें वितरण करने में मनमानी की जा रही है। यहां शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र स्थित क्रय विक्रय सरकारी समिति से ग्रामीण और किसानों को खाद नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां देखने वाला मामला तो यह सामने है कि मंगलवार सुबह कई किसान खाद नहीं मिलने की परेशानी को लेकर कार्यालय के बाहर बैठे रहकर खाद मिलने का इंतजार करते रहे हैं।

लेकिन उन्हें खाद दिए बिना ही निराशा लौटा दिया गया है। यहां मंगलवार को किसानों ने बताया कि वे सोमवार से खाद के लिए कार्यालय पर भटक रहे हैं। लेकिन कार्यालय में बैठने वाले अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्ट नीति की वजह से समय रहते किसानों को खाद के कट्टे वितरण नहीं किये जा रहा है। इस मामले में अधिकारी एवं कर्मचारियों की मनमानी साहब तौर पर दिखाई पड़ी है वह इसलिए की मंगलवार को कार्यालय में एक चपरासी के अलावा कोई ओर कर्मचारी, अधिकारी मौजूद नहीं थे। यहां कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कक्ष से पूरी तरह नदारत दिखाई दिए।

अधिकारी एवं कर्मचारीयो के बिना क्रय विक्रय सहकारी समिति का कार्यालय सुना पड़ा हुआ था। यहां मौजूद एक संविदा कर्मी ने बताया कि किसानों को खाद के कट्टे वितरण करने वाले कर्मचारी की तबीयत खराब होने की वजह से खाद वितरण नहीं हो रहा है। इस मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि ऊपर कार्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा और कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी उपस्थित नहीं है। यहां कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी और अनुपस्थित की वजह से फसल हेतु समय रहते किसानों को खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। या यह कहे की मनमानी तौर पर उन्हें समय रहते खाद नहीं दिया जा रहा हैं।

अवैध बजरी परिवहन करते चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

अवैध बजरी परिवहन करते पुलिस ने चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया।

सांभरझील, (निसं)। क्षेत्र में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सघन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चार जनों को गिरफ्तार किया है। जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। आदेश के अनुसरण में पुलिस थाना मोजमाबाद की ओर से मंगलवार को ग्राम सांवली, झाग में अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुये चार ट्रेक्टर ट्रोली मय बजरी सहित जप्त कर चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया जाकर तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए है।

अवैध बजरी खनन करते हुए पकड़े गए आरोपी गोपाल पुत्र हनुमान जाति खारोल उम्र 45 साल निवासी कांसेल थाना फागी, छोटूराम पुत्र गोपीराम जाति कुमावत उम्र 25 साल निवासी झाग थाना मौजमाबाद, कन्हैयालाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट उम्र 19 साल निवासी रेटी थाना मौजमाबाद व श्योजीराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट उम्र 35 साल निवासी निवासी रेटी थाना मौजमाबाद के निवासी हैं। थाना अधिकारी मोजमाबाद संजय प्रसाद ने बताया कि इसके लिए पुलिसकर्मियों की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था।

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पति दुकान नम्बर 01, स्टेशन रोड, रोडवेज स्टेण्ड के पास, सिन्धी कैम्प, जयपुर जिसका क्षेत्रफल 27.35 वर्ग मीटर है, जिसे श्री टहकनदास उर्फ ठाकुरदास ने दिनांक 12.07.1963 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया था, जिसके पश्चात श्री टहकनदास उर्फ ठाकुरदास ने रजिस्टर्ड मुख्तयारआम के द्वारा श्री गागनदास को अपना मुख्तयारआम नियुक्त किया, जिसके पश्चात श्री गागनदास मुख्तयारआम श्री टहकनदास उर्फ ठाकुरदास ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1977 को श्री छांगाराम को विक्रय कर दिया, जिसके पश्चात श्री छांगाराम का देहान्त दिनांक 10.07.2009 को हो गया था, जिसके पश्चात उक्त सम्पति श्री छांगाराम के वारिस श्री भगवानदास, श्री मुकेश कुमार, कुमारी सुनिता, श्रीमती सीता, श्रीमती राधा एवं श्री महेन्द्र कुमार का स्वामित्वाधिकार हो गया, जिसके पश्चात दिनांक 05.03.2010 को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से श्री भगवानदास, श्री मुकेश कुमार, कुमारी सुनिता, श्रीमती सीता ने अपना हक श्रीमती राधा एवं श्री महेन्द्र कुमार के हक में कर दिया, जिसके पश्चात उक्त सम्पति पर श्रीमती राधा एवं श्री महेन्द्र कुमार का स्वामित्वाधिकार हो गया है तथा मेरे अभिभाव्यगण श्रीमती राधा एवं श्री महेन्द्र कुमार उक्त सम्पति पर यस बैंक से ऋण ले रहे है, यदि किसी भी व्यक्ति (वारिसान आदि), बैंक, सरकारी, गैर सरकारी संस्था, वित्तिय संस्थान को उक्त सम्पति एवं टाईटल के संबंध मे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर मय दस्तावेज के साथ मुझसे सम्पर्क करे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी व्यक्ति की आपत्ति आयी तो शून्य व अमान्य समझी जावेगी।
गौतम कुमार शर्मा, डबवोकेट, पताः- 105, फस्ट फ्लोर, अमर विजय टॉवर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर फोन नं. 7877729823

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर सार्वजनिक सूचना
पृथ्वीराज नगर (उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर
अपोलो नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर की योजना-हीरा नगर-ए, के भूखण्ड संख्या 182 (क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज) के नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड लीजडीड हेतु श्री कानाराम कुमावत पुत्र श्री भूराराम ने आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी कर दिया जावेगी। उपायुक्त, पीआरएन-उत्तर-।। जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर)
क्रमांकः-एफ-55 ( ) वि.जोन/ ज.न.नि./2024/2116
सार्वजनिक सूचना दिनांकः- 03 DEC 2024
भूखंड सं. 06, श्री राम नगर B झोटवाडा (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती किरण कँवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह को क्षेत्रफल 417.77 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त शेष वारिसानों ने रजि. हकत्याग के द्वारा भूखंड आवेदक श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री रघुवीर सिंह के पक्ष में कर दिया है। रजि. हकत्याग के आधार पर क्षेत्रफल 417.77 वर्गगज भूखंड का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में चाहा गया है। उक्त भूखंड के नाम हस्तांतरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी। उपायुक्त विद्याधर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

खोया पाया
मेरे मकान 13/E/551 इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर का डिमांड लैटर, कार्यालय आदेश, नियमितीकरण एवं अदैय प्रमाण पत्र रामगंज गलता गेट में कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें-प्रेमप्रकाश-8058441588

मेरे फ्लैट नम्बर A/LIG/14/5/FF रावी अपार्टमेंट का मूल Declaration (Handing over/Tekken over) कहीं खो गया है-9414833922

आवास संख्या 114/14 मानसरोवर जयपुर का मूल मुख्त्यारनामा आम गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। नानकी देवी मो.8955826565

आवास संख्या 124/95 मानसरोवर जयपुर का कन्वेंन्स डीड अलाटी का मूल साईट प्लान गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। गीता मो.9314959946

मेरे प्लाट नं. 9/AE/828 (Corner) जविप्रा जयपुर की रिंग रोड परियोजना बुरथल का मूल कब्जा-पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। मो.9799586333

नाम परिवर्तन
मैं, राजेश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी मकान नंबर एफ 3, प्लॉट 76, विनायक अपार्टमेंट, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, घोषणा करता हूँ कि राजेश गर्ग और राजेश गुप्ता दोनों एक ही व्यक्ति है और अब से सभी उद्देश्यों के लिए राजेश गुप्ता के नाम से जाना जाएगा।

मैं सूबेदार मेजर दीवान सिंह मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम सुभाष चंद्रा जन्म तिथि 01.07.1954 दर्ज है, इसके स्थान पर सुभाष चंद जन्म तिथि 04.06.1953 साथ ही माता का नाम रेशमा देवी जन्मतिथि 01.07.1954 के स्थान पर रेशमा जन्मतिथि 0.01.1955 दर्ज की जाए।

मैं अशोक सैनी पुत्र श्री पूरणमल, निवासी- वार्ड नम्बर 08, मावण्डिया की ढ़ाणी, अडूका, झुंझुनू, राजस्थान-333026 घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री के शैक्षिणक दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक दर्ज है जबकि मेरा सही नाम अशोक सैनी है, एवं मेरी पुत्री का नाम प्राची दर्ज है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम प्राची सैनी है, शपथ पत्र दिनांक 03.12.2024 जयपुर

I have changed my name Jitendra Kant Kanungo to Jitendra Kanungo for all future purpose. Address: F-526, Lucky Enterprises, Road No. 6, VKI, Harmada, Jaipur, Rajasthan-302013

I army no 10303345 H Ex Hav Rajendra singh gurjar S/O amar singh gurjar R/O village post sikandara teh. Sikrai district dausa that have changed my daughter name From SARIKA is wrong entered in service record To SARIKA KASANA vide affidavit dated 2/12/24 before district notary Jaipur

सूचना

मुद्दा अलैह मोहम्मद वकार पुत्र लियाकत अली, नाइयों की मस्जिद के पास, सुभाषपुरा, बिकानेर, दारूल कज़ा में हाजिर हो। मुद्दइयूया नाजिया पुत्री महमूद अली 64, कली का भट्टा, देहली बाईपास, ईदगाह ने दारूल कज़ा इदारा ए शरइया जयपुर में जो तकिया आदम शाह घाट गेट, जयपुर में वाकेअ है। अपने शौहर मुद्दा अलैह के नाम यह दावा किया है कि: असका शौहर उसे नान व नफका से महरूम रख कर कहीं फरार हो गया है। मुद्दा अलैह जहां कहीं भी हो 25 दिसम्बर,2024 तक वह दारूल कज़ा में दाखिल करे वर्ना मुद्दइयूया के पेश हिए गए सुबूतों व गवाह की रोशनी में उसका निकाह, फस्क कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसका कोई उज्र व ऐतराज काबिले समाअत नहीं होगा।
मुहम्मद गुफरान रज़ा मिस्बाही 9785170335

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 45/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल स्वर्णकार जाति सोनी ब्राह्मण विवाद स्थान प्लाट नं. 4/3 मालवीय नगर, तह. सांगानेर जयपुर-302017
मृतक स्मृति शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 11.01.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्मृति शर्मा पुत्री ज्ञान चन्द्र आर्य पत्नि मदन मोहन स्वर्णकार जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं. 4/3 मालवीय नगर तह. सांगानेर जयपुर-302017 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11 माह 01 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 26 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायालय संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-10, सांगानेर, जयपुर महानगर (प्रथम)
डॉ. पंकज जैन बनाम श्रीमती खूशबू जैन व अन्य
वाद संख्या - 60 सन् 2024
अक्षत सामरिया पुत्र श्री योगेश कुमार सामरिया, निवासी ए-3, सरस्वती कॉलोनी, सांगानेर स्टेडियम के पास, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) मोबाइल नंबर-7976891127, 7597140341
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 16 माह 12 सन् 2024 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायालय संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय स्थान श्रीमाधोपुर
लक्ष्मी नारायण विरूद्ध मुकेश कुमार वगैरह
वाद बाबत दावा 85/23
वाद सं. 82सन् 23
बाबत बाबुलाल पुत्र बन्शीधर जाति महाजन स्थान निवासी अजीतगढ़ तहसील श्री माधोपुर जिला नीम का थाना हाल आबाद 5-ए/32 पारीख नगर ढेहर का बालाजी जयपुर (राज.) वादीगण ने आपके विरूद्ध दावा के लिये वाद पंजीयत किया है आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 01 सन् 25 को दिन में 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 19 माह 11 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय की आज्ञा से-प्रस्तुतकार
सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (क.ख.) श्रीमाधोपुर
मोहर अदालत

नाम सूचना
मैं जतनसिंह पुत्र रामसिंह माली निवासी बरखेडा तहसील व जिला-करौली (राज.) शपथपूर्वक वयान करता हूँ कि मेरे पिताजी का सही नाम रामसिंह माली है एवं मेरी माताजी का सही सुशीला देवी है। जबकि मेरी 10 व 12 वीं कक्षा की अंकतालिका व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल एवं माताजी का नाम लीलादेवी लिखा हुआ है। अतः मेरे उक्त सभी दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम रामसिंह माली एवं माताजी का नाम सुशीला देवी इन्द्राज अंकित किया जावें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
उप. मुख्य बिजली इंजी. (कारखाना), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की और से निचे दिए गए कार्य के लिए दी गयी तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्याः EL/50/06/2024-25RT1, कार्य का नाम व स्थानः Robotic Cleaning of AC coaches Duct for 24 Months. Carriage workshop Ajmer, अनुमानित लागतः₹ 4732062.40, बयाना राशिः ₹94700.00, ई-निविदा बन्द होने की तिथि एवं समयः 19.12.2024 at 15.00 Hrs., ई- निविदा खोलने की तारीख एवं समयः 19.12.2024 at 15.30 Hrs., वेबसाइट का ब्यौरा, जहां से ई-निविदा कि पूर्ण जानकारी प्राप्त कि जा सकती हैः www.ireps.gov.in
1393-PS/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा
नोटिस
प्रकरण सं. 335/2024 तहत धारा 135 (2)
उनवान
हनुमानदास वगैरह पि. फूलदास स्वामी नि. सदरपुरा
बनाम
सरकार
हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मृतका खातेदार गंगादेवी पत्नि फूलदास स्वामी निवासी सदरपुरा ने एक वसीयत दिनांक 10.12.2014 को वादीगण हनुमानदास चन्द्रप्रकाशदास व प्रवीणदास पि. फूलदास स्वामी निवासी सदरपुरा के हक में करवाई थी। वसीयतकर्ता के फौत हो जाने से उक्त वसीयत के आधार पर वादी वसीयतग्रहितागणों ने स्वयं के हक में नामा. खोले जाने हेतु निवेदन किया।
प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजि. किया गया। वादीगणों के मुताबिक वसीयतकर्ता की यह वसीयत ही अंतिम वसीयत है तथा इस बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में यदि कोई भी व्यक्ति आक्षेप रखना हो तो समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस मे अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। वाद मियाद गुजर जाने पर कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। वसीयत के संबंध मे कोई आक्षेप रखता हो तो मय साक्ष्य सबूत के नियत अवधि में उपस्थित होवे। कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने की सूरत में उक्त वसीयत को निर्विवाद मानते हुये वसीयत अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। नोटिस आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा (टोंक)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 384/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सोमेश्वर प्रसाद यादव पुत्र श्री बंशीराम यादव निवासी ग्राम नांगल, तुलसीदास, जिला जयपुर-302028 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत वालाजी चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता श्री बंशीराम यादव भवन, ग्राम नांगल तुलसीदास, पोस्ट भानपुर कलां, जिला जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने